प्रेस नोट   दिनांक 08.05.2026

थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 07.05.2026 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान कलेण्डर तिराहे के पास से मु0अ0सं0 121/2026 धारा 2b(i) व 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त यास उर्फ मुहम्मद माज पुत्र असअद निवासी खैराबाद थाना मु.बाद गोहना जनपद मऊ के गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. यास उर्फ मुहम्मद माज पुत्र असअद निवासी खैराबाद थाना मु.बाद गोहना जनपद मऊ

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0020/2026 303(2) BNS व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 मु0बाद मऊ
2. मु0अ0सं0 121/2026 2(b)(i) व 3(i) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 मु0बाद मऊ।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड के विभिन्न मामलों में कुल 04 पीड़ितों को 86170 रुपये की धनराशि वापस कराई गई–

जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानों (सरायलखन्सी, कोतवाली नगर व मधुबन) की साइबर पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए 04 पीड़ितों की धनराशि वापस कराई गई

विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त साइबर फ्रॉड़ की शिकायतों के आधार पर साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं साइबर पोर्टल पर तत्काल कार्रवाई की गई

उक्त कार्यवाही के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थानों से कुल 04 पीड़ितों की कुल धनराशि 86170 रुपये वापस कराई गई। जिसमें क्रमशः थाना सरायलखन्सी से 01 पीडित को 40000 रुपये, थाना कोतवाली नगर से 02 पीडितों को 21000 रुपये व थाना मधुबन से 01 पीडित से 25170 रुपये उनके खाते में वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।